**अनुसूची- १**
**(दफा २ को उपदफा १ सँग सम्बन्धित)**

## सम्पत्ति तथा भुमि करको दर

**आ.व.२०८१/०८२**

| देखि | सम्म | वार्षिक दर |
|---|---|---|
| रु. एकदेखि | एकलाख रुपैयाँसम्म | एकमुष्ठ रू. ५० |
| रु.एकलाख एक देखि | दुईलाख रुपैयाँसम्म | एकमुष्ठ रू. ९० |
| रु. दुईलाख एक देखि | पाँचलाख सम्म | एकमुष्ठ रू. १५० |
| रु. पाँच लाख एक | रु दश लाख रुपैया सम्म | प्रति लाख रू. ३० |
| रु. दश लाख एक | बीस लाख रुपैयाँसम्म | प्रति लाख रू. २९ |
| रु. बीस लाख एक | तीस लाख रुपैयाँसम्म | प्रति लाख रू. २८ |
| रु. तीस लाख एक | चालिस लाख रुपैयाँसम्म | प्रति लाख रू. २७ |
| रु. चालीस लाख एक | पचास लाख रुपैयाँसम्म | प्रति लाख रू. २६ |
| रु. पचास लाख एक देखि माथि | जतिसुकै भए पनि | प्रति लाख रू. २५ |

**नोट : मूल्यांङ्कन रकमलाई रु लाखमा गोल संख्या (round figure) मा परिणत गरी करको दर निर्धारण हुनेछ ।**

**अनुसूची १ (क)**
**(दफा २ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित)**

### जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन हद

### जलजला गाउपालिका भित्रका विभिन्न वडाको जग्गाको वर्गिकरण तथा मूल्यांकन

**आ.व. २०८१/०८२**

| सि. नं. | गाउँ / टोल | वडा नं. | जग्गाको वर्गीकरण | सडक र क्षेत्र | जग्गाको मुल्य प्रति रोपनी |
|---|---|---|---|---|---|
| | माझफाँट | | | वेनी बाँसखर्क सडक खण्डको दायाँ वायाँको बगरफाँट क्षेत्र | ६०,००,००० |
| १ | | | व्यबसायी क | वारीवेनी पिपलबोटदेखि कालीपूल सम्मको ब्यापारीक क्षेत्र र झुलुङे पुल देखि पर्वत बेनी बसपार्क | १,००,००,००० |
| | माझफाँट | | | मल्लाज चोक देखि भगवती डराईभिङग सम्मको जग्गा | १,००,००,००० |
| | | | | बेनी बाँसखर्क सडक खण्डको दायाँ | ६०,००,००० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वायाँको वगरफाँट क्षेत्र | |
| | माझफाँट | | | लुडदीखोलादेखि एता फुर्सेखोलासम्म बेनी मालढुङा सडकको दायाँ बायाँ मोहनचोक क्षेत्र | ५५,००,००० |
| | | | | धुर्व कुवर को घरको चोक देखि समी बोट मल्लाज कोट हुदै कुल्टेगौडा चोक सम्म | ३०,००,००० |
| | | | | बेनी मालढुङा सडक खण्डको लामाखेत क्षेत्र | ४५,००,००० |
| | | | | हाल निर्माण हुदै गरेका गाउँपालिका भवन जाने तेर्सो बाटो | ४५,००,००० |
| | धाईरिङ्ग | | | वेनी मालढुङगा सडक खण्डको मिलनचोक क्षेत्र | ६०,००,००० |
| | | | | मिलनचोक देखि शालिजा जाने बाटो (मिलनचोक बस्ती भएको सम्म) | ३०,००,००० |
| | नाग्लिवाङ्ग | | | वेनी मालढुङगा सडक खण्डको लस्तिखोला देखि दमुवाखोला सम्म क्षेत्र | ४०,००,००० |
| | बनौं | ९ | | खोलाडाँडा देखि पातल चोक सम्म | १५,००,००० |
| | बाँसखक | | | वडा नं. १ का भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मा उल्लिखित मापदण्ड अनुसार बस्तीको अर्धव्यासमा पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ३,५०,००० |
| | | | | वडा नं. १ का भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मा उल्लिखित मापदण्ड अनुसार सडकका दायाँ बायाँ पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ६,००,००० |
| २ | माझफाँट | २ | आवासीय | बगरफाँटदेखि विमिरावोट साम्मारे स्यालदुला भिमपाइला ओखरबोट धर्मशाला माझगाउँ सडक खण्डको दायाँ वायाँको घडेरीयोग्य जग्गाहरु | १५,००,००० |
| | | | | मल्लाज कोट देखि नेपाने जाने सडकमा पर्ने आवसीय जग्गाहरु | १२,००,००० |
| | | | | हाल भईरहेका वडा नं २ कार्यालय हुँदै औधोगिक ग्राम जाने सडक | १०,००,००० |
| | | | | वडा नं. २ का माथि उल्लिखित | ८,००,००० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | बाहेकका भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार सडकका दायाँ बायाँ पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | |
| | | | | वडा नं. २ का भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मा उल्लिखित मापदण्ड अनुसार बस्तीको अर्धव्यासमा पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ४,००,००० |
| | माझफाँट | ३ | | बेनी वयवसायी बाहेकका अन्य आवसायी क्षेत्रहरु | ५०,००,००० |
| | | | | ब्यारफाँट वयवसायीक क्षेत्र बाहेकका आवसीय क्षेत्रहरु | ४५,००,००० |
| | | | | वारीबेनी मल्लाज चोक देखि आँगाटारी खानेपानी सम्मको सडक खण्डको दायावायाँको जग्गा | ३०,००,००० |
| | | | | आँगाटारी खानेपानी देखि कोटघर हुँदै लेकफाँट सडक खण्डको वारीवेनी देखि कोटघरसम्मको दाँया वायाँको जग्गा | २०,००,००० |
| | | | | ह्स्पीटल चोक देखि कुलडाँडा हुँदै भवानीपानी हुँदै लेकफाँट जाने सडक | १५,००,००० |
| | | | | समी बोट देखि कुल डाँडा सम्मको सडकमा पर्ने आवसीय जग्गाहरु | १२,००,००० |
| | | | | वडा नं. ३ का माथि उल्लिखित बाहेकका भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार सडकका दायाँ बायाँ पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | १०,००,००० |
| | | | | वडा नं. ३ का भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मा उल्लिखित मापदण्ड अनुसार बस्तीको अर्धव्यासमा पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ८,००,००० |
| | माझफाँट | ४ | | वेनी मालढुडा सडक खण्डको आँगाखोलादेखि मोहनचोक सडक खण्डको दायाँ वाँयाको ब्यवपारीक क्षेत्र बाहेको अन्य घडेरी योग्य जग्गा | ३०,००,००० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मोहनचोक देखि कोटघर सडकको दायँ वायाँको जग्गा | २०,००,००० |
| | | | | मोहनचोक देखि लुङ्गदी आ.वी हुदै बेनी मालढुङगा जोडीने सडकको दायाँ बायाँ र सडकको परिधी भित्र पर्ने जग्गाहरु | २०,००,००० |
| | | | | मोहनचोक देखि लुङ्गदी सेरा फाँट सम्म जाने बाटो | २०,००,००० |
| | | | | वडा नं. ४ का माथि उल्लिखित बाहेकका भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार सडकका दायाँ बायाँ पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | १०,००,००० |
| | | | | वडा नं. ४ का भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मा उल्लिखित मापदण्ड अनुसार बस्तीको अर्धव्यासमा पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ५,००,००० |
| | लेखफाँट | ५ | आवासीय | वारीवेनीदेखि काटेघर हुँदै लेकफाँट सडक खण्डकको लेखफाँट दायाँ वायाँ क्षेत्र | ८,००,००० |
| | | | | वडा नं. ५ का माथि उल्लिखित बाहेकका भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार सडकका दायाँ बायाँ पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ७,००,००० |
| | | | | वडा नं. ५ का भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मा उल्लिखित मापदण्ड अनुसार बस्तीको अर्धव्यासमा पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ४,००,००० |
| | शालिजा | ६ | | मिलनचोकदेखि खोलाखेत भोटेडाडा हुँदै शालिजा सडक खण्डको शालिजा क्षेत्रको दायाँ वायाँका जग्गाहरु | ८,००,००० |
| | | | | वडा नं. ६ का माथि उल्लिखित बाहेकका भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार सडकका दायाँ बायाँ पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ७,००,००० |
| | | | | वडा नं. ६ का भुउपयोग क्षेत्र | ४,००,००० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वर्गीकरण मा उल्लिखित मापदण्ड अनुसार बस्तीको अर्धव्यासमा पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | |
| | धाईरिङ्ग | ७ | | वेनी मालढुङगा सडक खण्डको मिलनचोक व्यपारीक क्षेत्र वाहेकका सम्पूर्ण आवसीय जग्गाहरु | ३०,००,००० |
| | | | | मिलनचोक देखि सल्यान कच्चि सडकको दायाँ वायाँका घडेरी योग्य जग्गाहरु | २०,००,००० |
| | | | | लस्ती वास्कोट  जोड्ने कच्चि सडकको दायाँ वायाँका जग्गाहरु | १०,००,००० |
| | | | | मिलनचोक देखि शालिजा जाने बाटोमा पर्ने आवसीय जग्गाहरु | १०,००,००० |
| | | | | वडा नं. ७ का माथि उल्लिखित बाहेकका भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार सडकका दायाँ बायाँ पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ८,००,००० |
| | | | | वडा नं. ७ का भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मा उल्लिखित मापदण्ड अनुसार बस्तीको अर्धव्यासमा पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ५,००,००० |
| | नाग्लिवाङ्ग | ८ | | लस्तीखोला देखि लस्तीबजार सम्मको व्यवसायीक क्षेत्र बाहेकका आवसीय जग्गाहरु | १०,००,००० |
| | | | | खनियाघाँट लुपाङ्ग सडकमा भुउपयोग क्षेत्र वगिकरण अनुसार पर्ने आवसीय जग्गाहरु | १०,००,००० |
| | | | | फर्सै बजार भित्री सडक र खनिया घाँट वयवसायीक क्षेत्र बाहेकका अन्य आवसीय जग्गाहरु | ८,००,००० |
| | | | | वडा नं. ८ का माथि उल्लिखित बाहेकका भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार सडकका दायाँ बायाँ पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ८,००,००० |
| | | | | वडा नं. ८ का भुउपयोग क्षेत्र | ५,००,००० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वर्गीकरण मा उल्लिखित मापदण्ड अनुसार बस्तीको अर्धव्यासमा पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | |
| | | | | | |
| | बनौं | ९ | आवासीय | अर्मादी बनौं सडक खण्डको खोलाडाँडा देखि पातलचोक व्यवसायीक क्षेत्र सकिएपछीको २५ मिटरमा पर्ने आवसीय जग्गाहरु | १०,००,००० |
| | | | | बनौं देउराली देखि डाडाँखोर बनौं हुदै लस्ती जाने सडक | १०,००,००० |
| | | | | वडा नं. ९ का भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मा उल्लिखित मापदण्ड अनुसार सडकका दायाँ बायाँ पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ८,००,००० |
| | | ९ | आवासीय | वडा नं. ९ का भुउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मा उल्लिखित मापदण्ड अनुसार बस्तीको अर्धव्यासमा पर्ने सम्पूर्ण आवासीय क्षेत्रका जग्गाहरु | ६,००,००० |

**नोट :** (क) आवासिय क्षेत्र सम्वन्धमा माथी जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि सडकका दायाँ वायाँ घडेरी योग्य जग्गा नभई पाखो काल्ला मात्र रहेको अवस्थामा र एउटै ठूलो क्षेत्रफलको कित्ताको थोरै क्षेत्रफल मात्र सडकसँग जोडिएको र आधिकांश जमिन वारी पाखो रहेको अवस्थामा जम्मा क्षेत्रफलको ३३ प्रतिशत मात्र आवासीय क्षेत्र कायम गरी वाँकी जग्गा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा लेखिए बमोजिमको मुल्यांकनको आधारमा राजश्व संकलन गर्ने ।

(ख) कृषि जग्गाको हकमा जग्गाको वर्गीकरण अब्बल, दोयम, सीम र चाहार क्षेत्रकै आधारमा राजश्व संकलन गर्ने ।

(ग)औधोगिक क्षेत्र र खानी तथा खनिज क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरुको प्रति रोपनी रु. १,००,००,०००।-मुल्यांकनको आधारमा राजश्व संकलन गर्ने ।

(घ) सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा परेका व्यक्तिको नामको जग्गाहरुको प्रति रोपनी रु.३,५०,०००।- गाउँपालिकालाई सम्पती कर वुझाउनु पर्ने ।

(ङ) सार्वजनिक संघ-संस्था, मठ-मन्दिर संरक्षण तथा ब्यवस्थापन समितिको नामको गुठी जग्गामा गाउँपालिकालाई सम्पती कर वुझाउनु नपर्ने ।

(च) व्यक्तिले भोगचलन गरेको र व्यक्तिको पुर्ण स्वामित्वमा हुने गुठी जग्गाको सम्पती कर सम्वन्धीत स्वामित्व कर्ताले सम्वन्धित निकायमा वुझाउनु पर्नेछ ।

(छ) व्यक्तिले भोगचलन गरेको र व्यक्तिको पुर्ण स्वामित्वमा हुने घर जग्गाको सम्पत्ती कर र भूमि कर मूल्याङ्कन फरक परेको भएमा सम्वन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा पुनः मूल्याङ्कनका आधारमा वर्षमा एक पटक सच्याउन सकिनेछ ।

**अनुसूची १ (ख)**

**(दफा २ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित)**

## माथी उल्लेखीत वाहेक जलजला गाउँपालिका भित्रका विभिन्न वडाको जग्गाको वर्गीकरण तथा मुल्यांकन

## आ.व. २०८०/०८१

| सि. नं. | वडाको नाम | वडा नं. | जग्गाको वर्गीकरण | | | | | | | | कै. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | बारी तर्फ | | | | |
| | | | अब्बल | दोयम | सीम | चाहार | अब्बल | दोयम | सीम | चाहार | |
| १ | वाँसखर्क | १ | १५०,००० | १३०,००० | ११०,००० | ८०००० | १४००,०० | १२०,००० | ९०,००० | ५०००० | |
| २ | माझफाँट | २ | २७०,००० | २५०,००० | २४०,००० | २२०,००० | ५८,००० | ४८,००० | ४०००० | ३५००० | |
| ३ | माझफाँट | ३ | २७०,००० | २५०,००० | २४०,००० | २२०,००० | ५८,००० | ४८,००० | ४०००० | ३५००० | |
| ४ | माझफाँट | ४ | २७०,००० | २५०,००० | २४०,००० | २२०,००० | ५८,००० | ४८,००० | ४०००० | ३५००० | |
| ५ | लेखफाँट | ५ | ७०,००० | ६०,००० | ५०,००० | ४०,००० | ३२,००० | २८,००० | २५००० | २०००० | |
| ६ | शालिजा | ६ | ७०,००० | ६०,००० | ५०,००० | ४०,००० | ३२,००० | २८,००० | २५००० | २०००० | |
| ७ | धाईरिङ्ग | ७ | २००,००० | १५०,००० | १००००० | ८०,००० | ४०,००० | ३२००० | २५००० | २२००० | |
| ८ | नाग्लीवाङ्ग | ८ | २००,००० | १५०,००० | १००००० | ८०,००० | ४०,००० | ३२००० | २५००० | २२००० | |
| ९ | बनौ | ९ | ७०,००० | ६०,००० | ५०,००० | ४०,००० | ३२,००० | २८,००० | २५००० | २०००० | |

**अनुसूची १ (ग)**

**(दफा २ को उप दफा ४ संग सम्बन्धित)**

## म्याद भित्र विवरण दाखिला नभएमा लिइने थप शुल्कको दर

| म्याद नाघेको प्रति बर्षको थप शुल्क |
|---|
| एक आर्थिक बर्ष म्याद नाघेमा बुझाउनुपर्ने बक्यौदा रकमको १५ प्रतिसत २ आर्थिक बर्ष म्याद नाघेमा २५ प्रतिसत, तीन आर्थिक बर्ष म्याद नाघेमा ४० प्रतिसत र सो भन्दा वढी आर्थिक बर्ष म्याद नाघेमा ५० प्रतिसतका दरले थप शुल्क असुल गरी विजक जारी गर्ने |

**अनुसूची २**

**(दफा ३ को उपदफा १सँग सम्बन्धित)**

## घर बहाल तथा नक्सा पास

**(क) घर बहाल कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई बहालमा दिएकोमा बहाल रकमको १० प्रतिशत घर बहाल रकम तिर्नुपर्नेछ ।

**(ख) घर नक्सा पास दस्तुरः**

| **क्र.सं.** | **बिवरण** | **दर रु .** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| १ | नक्सा पास निवेदन फाराम दस्तुर | ५०० |
| २ | पक्की घर र पर्खाल समेत प्रति वर्गफिट दस्तुर | |
| | क. जमिन तला प्रति वर्गफिट दस्तुर | ८ |
| | ख. पहिलो  तला प्रति वर्गफिट दस्तुर | ७ |
| | ग. दोस्रो तला वा सो भन्दा माथि  प्रति वर्गफिट दस्तुर | ६ |
| ३ | कच्ची घर र पर्खाल समेत प्रति वर्गफिट दस्तुर | २ |
| ४ | नक्सा नामसारि तथा नवीकरण वापत | ३००० |
| ५ | घर/भवन अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र प्रतिलिपी | १००० |

**नोट :** मिति २०७७।१०।०४ मा सम्पन्न नवौं गाउँसभाको निर्णय मुताविक जलजला गाउँपालिका वस्ती विकास, शहरी योजना, भवन निर्माण सम्वन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड,२०७६ लागू हुन पूर्व निर्मित घर/भवनको अभिलेखिकरण शुल्क वापत प्रचलित शूल्कको ५० प्रतिसत थप शुल्क जोडी शुल्क कायम गरीनेछ । उक्त मापदण्ड लागू भए पश्चात निर्माण भई नक्सापास नभएका घर/भवनको हकमा प्रचलित शुल्कमा सत प्रतिसत थप गरी दोब्बर शुल्क लिई अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेछ ।

**अनुसूचि २ (ख)**
**(दफा ३ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित)**

## भौतिक संरचनाको ह्रास कट्टी

| सि.नं. | भौतिक संरचना बनेको साल | ह्रास कट्टी प्रतिशत | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | संरचना बनेको एक वर्ष नकटेको अवस्थमा | ० | |
| २ | त्यस पछिको प्रत्येक वर्षमा | २ | |

**नोट :** ह्रास कट्टी अधिकतम ५० वर्ष सम्म हुनेछ । त्यस भन्दा बढी वर्ष भएको संरचनाको ह्रास कट्टी हुने छैन ।

**अनुसूची ३**
**(दफा ४ सँग सम्वन्धित)**

## गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने व्यवसाय करको दर

**क) व्यवसाय कर**

| क्र. सं. | शीर्षक | दर्ता शुल्क रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | **होटल, लज, रेष्टुरेन्ट, बार, क्याफे, मिष्ठान्न भण्डार** | | |
| क | मदिरा समेत विक्री गर्ने होटल (लज समेत) | ३००० | |
| ख | मदिरा विकी नगर्ने होटल (लज समेत) | २५०० | |
| ग | मदिरा समेत विक्री गर्ने होटल | २००० | |
| घ | होटल मात्र | १५०० | |
| ङ | चिया पसल | १००० | |
| २ | **टेन्ट हाउस/ क्याटरिङ** | ३००० | |
| ३ | **सुन चाँदी पसल (ज्वेलरी)** | ४००० | |
| ४ | **टेलरिङ व्यवसाय** | | |
| क | कपडा पसल सहितको टेलरिङ व्यवसाय | २५०० | |
| ख | टेलरिङ व्यवसाय मात्र | १५०० | |
| ५ | **सैलुन व्यवसाय** | १००० | |
| ६ | व्युटी पार्लर | १५०० | |
| ७ | **कम्प्यूटर सम्वन्धी** | | |
| क | कम्प्युटर, फोटोकपि मेशिन र प्रिन्टर समेतको | २५०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पसल | | |
| ख | कम्प्युटर तालिम दिने संस्था (इन्सिच्यूट) | २००० | |
| ८ | **इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिक पसल** | | |
| क | इलेक्ट्रोनिक पसल (टि.भि, फ्रिज लगायत हेवी सामान विक्री ) | ३००० | |
| ख | इलेक्ट्रोनिक पसल(टि.भि, फ्रिज वाहेक अन्य वस्तु विक्री ) | २५०० | |
| ग | टिभि,फ्रिज राइसकुकुर आदि मर्मत पसल | १५०० | |
| घ | ईलेक्ट्रिक सामानहरुको विक्री | २५०० | |
| ९ | **मोवाईल, टेलिफोन, घडी, रेडियो पसल** | | |
| क | मोवाईल, टेलिफोन मर्मत तथा विक्री गर्ने पसल | २००० | |
| ख | रेडियो, घडी मर्मत तथा विक्री गर्ने पसल | १५०० | |
| १० | जुत्ता तथा चप्पल विक्री गर्ने पसल | २००० | |
| ११ | **डिलर ब्यवसाय** | | |
| क | पाँचवटा भन्दा बढी मुख्य सामानको डिलर | १०००० | |
| ख | ३ भन्दा बढी ५ वटा सम्म सामानको डिलर | ७००० | |
| ग | १ वटा भन्दा बढी ३ वटा सम्म सामानको डिलर | ५००० | |
| घ | १ बटा मात्र सामानको डिलर | २५०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १२ | **अस्पताल, क्लिनिक, औषधी पसल,आयुर्वेद समेत** | | |
| क | अस्पताल तथा नर्सीङ होम (प्रति शैया) | ५००० | |
| ख | डायगोनोस्टीक सेन्टर (प्रति सेवा) | १०००० | |
| ग | पोलिक्लिनिक तथा नर्सीङ होम (प्रति सेवा) | १०००० | |
| घ | अन्य वैकल्पीक चिकित्सा (प्रति शैया ) | ५००० | |
| ङ | फार्मेसी (औषधी पसल) | ३००० | |
| च | क्लिनिक तथा ल्याब | ३००० | |
| छ | डेण्टल अस्पताल | ५००० | |
| ज | डेन्टल क्लिनिक | ३००० | |
| झ | डेन्टल क्लिनिक | ३००० | |
| १३ | पान पसल | ७०० | |
| १४ | लत्ता कपडा धुलाई तथा सरसफाई | १५०० | |
| १५ | आर्ट व्यवसाय | १५०० | |
| १६ | फोटो स्टुडियो | २००० | |
| १७ | बटन सप (धागो टाँक, पस्नर आदि विक्री) | १५०० | |
| १८ | भाँडापसल | ३००० | |
| १९ | गिफ्ट तथा कस्मेटिक पसल | १५०० | |
| २० | प्लाई, सिसा, कार्पेट फ्रेम आदि बिक्री | ३००० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २१ | पेट्रोल पम्प | १०००० | |
| २२ | ग्याँस सिलिन्डर बिक्रेता | ३५०० | |
| २३ | साईकल तथा रिक्सा मर्मत | १००० | |
| २४ | अटोमेकानिक्स तथा इन्जिनियरिङ्ग मोटर पार्टस | ८००० | |
| २५ | **लेथ्स सेक्सन तर्फ** | | |
| क | मोटर बडी विल्डर्स | ३५०० | |
| ख | टायर मर्मत तथा हावा हाल्ने पम्प र सिट मर्मत | १५०० | |
| ग | मोटर साईकल शो रुम | ५००० | |
| २६ | पशु, आहार विक्रि डिपो/सप्लायर्स | ५००० | |
| २७ | लेखा परिक्षण व्यवसाय | | |
| क | क र ख श्रेणीलाई | २००० | |
| ख | ग र घ श्रेणीलाई | १५०० | |
| २८ | **बैंक, फाइनान्स वित्तिय संस्थाहरु तथा सहकारी बैक ( नाफामूलक)** | | |
| क | क बर्गको बैक वा वित्तिय संस्था | १८००० | |
| ख | ख बर्गको बैक वा वित्तिय संस्था | १५००० | |
| ग | ग बर्गको बैक वा वित्तिय संस्था | १२००० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| घ | घ बर्गको बैंक वा वित्तिय संस्था | १०००० | |
| २९ | **संस्थागत (निजी) विद्यालय/शिक्षालय सञ्चालन अनुमति सिफारिस** | | |
| क | क्याम्पस, माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुने) | २५००० | |
| ख | माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १० सम्म पठनपाठन हुने) | २०००० | |
| ग | आधारभूत विद्यालय (कक्षा ८ सम्म पठनपाठन हुने) | १५००० | |
| घ | आधारभूत विद्यालय (कक्षा ५ सम्म पठनपाठन हुने) | १०००० | |
| ३० | ब्लक, रिङ, टायर र तारबार उत्पादन व्यवसाय | ५००० | |
| ३१ | मैन बत्ती तथा अगरबत्ती व्यवसाय | १००० | |
| ३२ | मसला व्यवसाय | १५०० | |
| ३३ | **परामर्श सेवा तर्फ** | | |
| क | इन्जिनियरिङ्ग परामर्श सेवा | ५००० | |
| ख | शैक्षिक परामर्श सेवा | ३००० | |
| ग | अन्य परामर्श सेवा | २००० | |
| ३४ | **किराना पसल / व्यवसाय** | | |
| क | किराना पसल (थोक तथा खुद्रा) | २५०० | न्यूनतम |
| ख | किराना पसल (खुद्रा) | २००० | न्यूनतम |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ग | किराना तथा डेरी ब्यवसाय | २५०० | न्यूनतम |
| घ | डेरी/पाउरोट/आइसकीम/विस्कुट/चटपट/ दालमोट व्यवसाय | १५०० | न्यूनतम |
| ३५ | मादल लगायत वाद्यवाधन यन्त्र मर्मत तथा विक्री पसल | १५०० | न्यूनतम |
| ३६ | सिरक, डसना, खोल, तन्ना, कुसन विक्री पसल | २००० | न्यूनतम |
| ३७ | जुत्ता तथा झोला तयारी तथा मर्मत गर्ने व्यवसाय | १५०० | न्यूनतम |
| ३८ | **फर्निचर तथा ग्रील उद्योग र ब्यवसाय** | | |
| क | फर्निचर व्यवसाय, फर्निचर शो रुम तथा समिल | ५००० | न्यूनतम |
| ख | फर्निचर उद्योग व्यवसाय | ४००० | न्यूनतम |
| ग | फर्निचर शो रुम मात्र | ३५०० | न्यूनतम |
| घ | अन्य साना काष्ठ व्यवसाय | ३००० | न्यूनतम |
| ङ | ग्रील र सटर व्यवसाय | ३५०० | न्यूनतम |
| च | ग्रील व्यवसाय मात्र | ३००० | न्यूनतम |
| ३९ | **कुटानी, पिसानी, पेलानी आदि मिल** | | |
| क | मिल (कुटानी, पिसानी, पेलानी, सेलर, होल्लर, तेल, चिउरा आदि) | ३००० | न्यूनतम |
| ख | कुटानी पिसानी मिल(होल्लर र  सेल्लर ) ठूलो | २००० | न्यूनतम |
| ग | सानो कुटानी पिसानी मिल (अन्न, वेसार | १५०० | न्यूनतम |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | मसला आदि) | | |
| ४० | **कृषि तथा पशु पंछी व्यवसाय तर्फ** | | |
| क | तरकारी तथा फलफूल खेती फर्म ५ रोपनी सम्मको | ५०० | न्यूनतम |
| ख | तरकारी तथा फलफूल खेती फर्म ५ रोपनी भन्दा बढी | ७५० | न्यूनतम |
| ग | गाई भैसी फर्म १० वटा सम्म | ५०० | न्यूनतम |
| घ | गाई भैसी फर्म १० वटा भन्दा बढी | ७५० | न्यूनतम |
| ङ | बाखा फर्म २० वटा सम्म | ५०० | न्यूनतम |
| च | वाखा फर्म २० वटा भन्दा बढी | ७५० | न्यूनतम |
| छ | गाई, भैसी, वाखासंयूक्त फर्म | ७५० | न्यूनतम |
| ज | पशु पंछी पालन तथा तरकारी फलफूलसंयूक्त व्यवसाय | १००० | न्यूनतम |
| झ | कुखुरापालन व्यवसाय १००० चल्ला सम्म | ७५० | न्यूनतम |
| ञ | कुखुरापालन व्यवसाय १००० चल्ला भन्दा माथि | १००० | न्यूनतम |
| **41** | **फ्रेस हाउस** | | |
| क | फ्रेस हाउस (माछा, खसी, कुखुरा) | २००० | न्यूनतम |
| ख | फ्रेस हाउस (रागो, बंगुर आदि) | २५०० | न्यूनतम |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४२ | तरकारी फलफुल तथा सागसब्जी पसल | १५०० | न्यूनतम |
| ४३ | अण्डा विक्री पसल | १५०० | न्यूनतम |
| ४४ | इट्टा विक्री डिपो तथा संकलन केन्द्र | ५००० | न्यूनतम |
| ४५ | डोका, नाम्लो, भकारी, प्लाष्टिक तथा बेतबाँसका समानहरु | १५०० | न्यूनतम |
| ४६ | हार्डवेयर पसल | ५५०० | न्यूनतम |
| ४७ | चिम्नी उद्योग/ ईट्टा भट्टी | १०००० | न्यूनतम |
| ४८ | मेटलको भाँडा बनाउने व्यवसाय | २००० | न्यूनतम |
| ४९ | पुस्तक, स्टेशनरी तथा खेलकुदका सामानहरुको विक्री | २००० | न्यूनतम |
| ५० | इन्टरनेट/टि. भी केबुल प्रशारण | ५००० | न्यूनतम |
| ५१ | फोटोकपि, प्रिन्ट, फ्याक्स, लेमिनेशन,व्यन्डिङ, कुरियर | २००० | न्यूनतम |
| ५२ | ड्राइभिङ्ग इन्टिच्युट | ५००० | न्यूनतम |
| ५३ | कपडा पसल फेन्सी समेत | ३००० | न्यूनतम |
| ५४ | छापाखाना तथा किताब,कापी व्यवसाय | ५००० | न्यूनतम |
| ५५ | डिजिटल छापाखाना/ फ्लेक्स प्रिन्ट | २५०० | न्यूनतम |
| ५६ | साइबर तथा कम्युनिकेशन सेवा | २५०० | न्यूनतम |
| ५७ | **निर्माण व्यवसायी** | | |
| क | क वर्ग | १००००० | एकमुष्ट |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ख | ख वर्ग | ५0000 | एकमुष्ट |
| ग | ग वर्ग | ३0000 | एकमुष्ट |
| घ | घ वर्ग | २0000 | एकमुष्ट |
| ५८ | रासायनिक मल, विउ, विजन, किटनाशक औषधी विक्री | २००० | न्यूनतम |
| ५९ | भिडियो मिक्सीङ्ग सेन्टर | २००० | न्यूनतम |
| ६० | **मदिरा विकी पसल** | | |
| क | मदिरा थोक बिक्री | ५००० | न्यूनतम |
| ख | मदिरा खुद्रा विक्री | २५०० | न्यूनतम |
| ६१ | ट्युसन सेन्टर | १५०० | न्यूनतम |
| ६२ | मेसिनरी सामान, मोटर, जेनेरेटर, पावर टिलर आदि बिक्री | ४००० | न्यूनतम |
| ६३ | कवाडी व्यवसाय | ३००० | न्यूनतम |
| ६४ | मोबिल, ग्रिज, बिक्री | २५०० | न्यूनतम |
| ६५ | टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्सी | ३००० | न्यूनतम |
| ६६ | कुरियर तथा कार्गो सेवा | १५०० | न्यूनतम |
| ६७ | भेटेरेनरी सेवा | २५०० | न्यूनतम |
| ६८ | रङरोगन, सिसा पसल | ३००० | न्यूनतम |
| ६९ | जलविद्युत सर्वेक्षण अनुमती (प्रति वर्ष) | २,५०,००० | न्यूनतम |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ७० | लघु जलविद्युत सञ्चालन अनुमती | १,००,००० | न्यूनतम |
| ७१ | सोलार व्यवसाय | ३५०० | न्यूनतम |
| ७२ | अफसेट प्रेस | ५००० | न्यूनतम |
| ७३ | विमा कम्पनी | ५००० | न्यूनतम |
| ७४ | नोटरी पब्लिक सेवा | २००० | न्यूनतम |
| ७५ | प्राविधिक शिक्षालय | १०००० | न्यूनतम |
| ७६ | पानी व्यवसाय | ५००० | न्यूनतम |
| ७७ | फ्लेक्स प्रिन्ट पसल | २५०० | न्यूनतम |
| ७८ | पुल हाउस सेवा | २५०० | न्यूनतम |
| ७९ | काठको ठेका भाँडा पसल | १५०० | न्यूनतम |
| ८० | माटाका भाँडा पसल | १००० | न्यूनतम |
| ८१ | खेलौना सामग्री पसल | १५०० | न्यूनतम |
| ८२ | जडिबुटि पसल | १००० | न्यूनतम |

**नोट :** (क) माथि अनूसूची-३ मा उल्लिखित व्यवसायहरुको दर्ता शुल्कलाई पाँच लाख सम्म लगानी पूँजी भएको न्युनत्तम ब्यवसाय शुल्क मानी पाँच लाख भन्दा बढी लगानी भएका ब्यवसायहरुलाई माथि उल्लिखित न्यूनतम दर्ता शुल्कको दरमा प्रति पाँच लाख १० प्रतिशतका दरले थप गरेर दर्ता शुल्क कायम गरी रकम असुल गरिनेछ ।

(ख) माथि उल्लिखित वाहेक छुट हुन गएका व्यवसायहरुलाई ब्यवसायको प्रकृति हेरी उल्लिखित विषयसँग मेल खाने किसिमको दरमा रु ५००।- देखि रु २,५०,०००।- सम्म लिन सकिनेछ ।

(ग) नविकरण शुल्क सोही प्रकृतिको ब्यवसायको चालु वर्षको दर्ता शुल्कको २० प्रतिशत लाग्नेछ ।

(घ) विलम्व शुल्क : प्रतिवर्ष वक्यौता रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम विलम्ब शुल्क वापत न्यूनत्तम शुल्कमा थप गरि असुल गरिनेछ ।

**अनुसूचि ४**

(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

## गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको दर :

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन भई निकासी हुने देहायका मालवस्तु (जडिबुटी,कवाडी र जीवजन्तु) मा देहाय बमोजिमको न्यूनतम र अधिकतम कर दर सीमाभित्र रही कर लगाइ असुल गरिनेछ ।

| क्र. सं. | माल वस्तुको नाम | इकाइ | अधिकतम |
|---|---|---|---|
| १ | ऊन | प्रति के जी | रु २ |
| २ | खोटो | प्रति के जी | रु ४ |
| ३ | वनकस (खर), बाबियो, पराल, निगालो, लोक्ता, अम्लिसो | प्रति ट्याक्टर | रु ५०० |
| ४ | खालि सिसी (वियर) | प्रति गोटा | रु. २ |
| ५ | खालि सिसी (मदिरा र अन्य ) | प्रति गोटा | रु. २ |
| ६ | जुटको बोरा/ गार्मेन्टको कपडाको टुका/ कार्पेटको टुका/प्लाष्टिकको बोरा | प्रति केजी | रु २ |
| ७ | टायर ट्युब/ पुरानो टिन/पुरानो ड्रम/कबाडी फलाम/पोलिथिन पाइपका टुकाहरु/ थोत्रिएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजार | प्रति केजी | रु ५ |
| ८ | पुराना कागज/कार्टुन/पत्रिका/अन्य कागज | प्रति केजी | रु ५ |
| ९ | धातुका टुका -पित्तल/तामा/सिल्टी/पुरानो व्याट्री/ फलाम/ पित्तल, तामा | प्रति केजी | रु ५ |
| १० | सिसाका टुक्रा वा धुलो | प्रति केजी | रु ४ |
| ११ | काँचको धुलो र टुक्रा | प्रति केजी | रु ४ |
| १२ | प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुको हाड, सिङ, खुर, छालाः | प्रति केजी | रु १० |
| १३ | प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पंक्षीहरु जस्तैः हाँस, कुखुरा, जस्ता पंक्षीहरुको प्वाँख | प्रति केजी | रु २ |
| १४ | अन्य पुनः प्रयोग योग्य कबाडी बस्तुहरु | प्रति केजी | रु २ |

**अनुसूचि ५**

**(दफा ६ सँग सम्बन्धित)**

**गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ग्रामीण सडकमा लगाउन सक्ने सडक पूर्वाधार उपभोग शुल्कको दर**

**सडक पूर्वाधार उपभोग शुल्क :**

| क्र.सं. | बिवरण | प्रतिपटकमा लाग्ने करको दर रु | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | क्रेन, लोडर | १००० | |
| २ | बस, ट्रक, लहरी आदि हेवी सवारी | ३०० | |
| ३ | मिनीबस, मिनिट्रक | २०० | |
| ४ | डोजर सानो जेसिवी | ५०० | |
| ५ | डोजर ठूलो, ब्रेकर समेत | १००० | |
| ६ | ट्र्याक्टर ठूलो | ३०० | |
| ७ | जीप, माईक्रो बस, भ्यान | १०० | |

**अनुसूची ६**
**(दफा ७ सँग सम्बन्धित)**

## गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने विज्ञापन करको दर

**विज्ञापन कर :**

| सि. नं | विवरण | रकम (रुपैयाँमा) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | गाडीमा सामान वोकी विज्ञापन गर्ने (प्रतिपटक) | ५०० | |
| २ | स्टल राखी विज्ञापन गर्ने ( प्रतिदिन) | १०० | |
| ३ | कन्सर्ट (प्रतिपटक) | १००० | |
| ४ | तुल व्यानर राखी विज्ञापन - प्रतिपटक | ५०० | |
| ५ | वाल पेन्ट विज्ञापन प्रति वर्ग फिट | १० | |
| ६ | ग्लो साइनवोर्ड प्रति वर्ग फिट | १०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ७ | अग्लो साइन वोर्ड डिपीएस वोर्ड प्रति वर्ग फिट | १० | |

**अनुसूची ७**

**(दफा ८ सँग सम्वन्धित)**

## गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने मनोरञ्जन करको दर

**मनोरञ्जन कर :** (क) सिनेमाहल, भिडियोहल, साँस्कृतिक प्रदर्शनहल, थिएटर संगित तथा मनोरञ्जन प्रदर्शन स्थलको प्रवेश शुल्क मा रु. १० ।- का दरले मनोरञ्जन कर लगाउने ।

(ख) जादु, सर्कश, चटक, आदिमा प्रतिदिन रु. ५०० र मासिक १०,००० लगाउने ।

**अनुसूची ८**

**(दफा ९ सँग सम्बन्धित)**

## बहाल विटौरी करको दर

**बहाल विटौरी :** (क) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण,रेखदेख र सञ्चालन गरेको हाटवजार र सार्वजनिक स्थल ऐलानी जग्गा वा सार्वजनिक बाटो प्रयोग वापत देहाय बमोजिमको कर लगाउन सक्नेछ ।

| क्षेत्र | प्रति रोपनीवार्षिक रु.(व्यवसायीक क्षेत्र) | प्रति रोपनी वार्षिक रु.( आवासीय क्षेत्र) | प्रति रोपनी वार्षिक रु.(कृषि क्षेत्र) |
|---|---|---|---|
| वारीवेनी | ५०००० | २५००० | १५००० |
| वगरफाँट/ मिलनचोक/ मोहनचोक/ नाग्लीवाङ | ३०००० | २०००० | १०००० |
| अन्य | २०००० | १०००० | ५००० |

**अनुसूचि ९**

**(दफा १०सँग सम्बन्धित)**

## पार्किङ्ग शुल्क को दर

**पार्किङ्ग शूल्क :**

गाउँपालिकाले तोकेको सवारी साधन पार्किङ्ग क्षेत्रमा मात्र सवारी साधन पार्किङ्ग गर्नु पर्दछ । एक पटकमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा रु. २५ र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा रु. ५० सम्म पार्किङ्ग शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

**अनुसूची १०**

**(दफा ११सँग सम्वन्धित)**

## मनोरञ्जर करको दर

क. गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने ट्रेकिङ्ग क्यानोइङ्ग, बन्जि जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर शुल्कको दर न्युनतम रु. १००० देखि अधिकतम रु. १०००० सम्म कर लगाउन सकिनेछ ।

ख. पर्यटक आवास, होटेल, प्याराग्लाइडिङ्ग, पदयात्रा, रेष्टुरेण्ट, ट्राभल्स एजेन्सी, अश्वरोहण, मोटेल आदिको व्यवसायमा लाग्ने कर न्युनतम रु. १,००० अधिकतम रु. २५,००० सम्म हुनेछ ।

**अनुसूची ११**

**(दफा १२ सँग सम्वन्धित)**

## सेवा शुल्क, दस्तुरको दर

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र विभिन्न किसिमका सिफारिस, भू सेवा शुल्क र फोहोर मैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क, जलश्रोत उपयोग शुल्क वापत देहाय बमोजिम शुल्क लगाउन सक्नेछ । सेवाको प्रकृति अनुसार सेवा लिने र शुल्क बुझाउने प्रकृया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

### १. विभिन्न सेवा वापतको शुल्क

| सि नं | सेवाको किसिम | दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | घरबाटो सिफारिस | ३०० | |
| २ | जग्गा नामसारी सिफारिस | ५०० | |
| ३ | नाम थर र जन्म मिति शंसोधन सिफारिस | ३०० | |
| ४ | ढलान घर कायम सिफारिस | २००० | |
| ५ | ढलान बाहेक अन्य घर कायम सिफारिस | १००० | |
| ६ | छुट जग्गा दर्ताको सिफारिस दस्तुर | २००० | |
| ७ | विद्युत जडानको सिफारिस दस्तुर (घरायसी प्रयोजन) | २०० | |
| ८ | विद्युत जडानको सिफारिस दस्तुर ( व्यवसायिक प्रयोजन ) | १००० | |
| ९ | व्यवसाय, खानेपानी धारा, विद्युत मिटर आदिको ठाउँसारी तथा नाम संशोधन सिफारिस | २०० | |
| १० | निजी धारा वा टेलिफोन जडान सिफारिस दस्तुर | ५०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ११ | बैदेशिक रोजगारको लागि सिफारिस | | |
| १२ | खाडी मुलुकको लागि | निशुल्क | |
| १३ | माथि उल्लेखित बाहेक अन्य मुलुकको लागि | १००० | |
| १४ | परिवार ल्याएको/लगेको सिफारिस | ३०० | |
| १५ | जन्म प्रमाणित सिफारिस दस्तुर | २०० | |
| १६ | मृत्यु प्रमाणित सिफारिस दस्तुर | २०० | |
| १७ | विवाह प्रमाणित सिफारिस दस्तुर | २०० | |
| १८ | वसाईसराई प्रमाणित दस्तुर | ५०० | |
| १९ | नागरिकता अनुसुची निवेदन तथा सिफारिस | २०० | |
| २० | नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि शंसोधन सिफारिस | ३०० | |
| २१ | अंगिकृत नागरिकताको सिफारिस | २००० | |
| २२ | नाता प्रमाणित दस्तुर नेपालीमा | २०० | |
| २३ | नाता प्रमाणित दस्तुर अंग्रेजीमा | ५०० | |
| २४ | कन्सुलर प्रमाणित दस्तुर प्रति थान | ३०० | |
| २५ | बसोवास प्रमाणित दस्तुर | ५०० | |
| २६ | नाफामुलक संस्था दर्ता, नवीकरण र सिफारिस दस्तुर | ३००० | |
| २७ | सेवा मुलक संस्था दर्ता, नवीकरण र सिफारिस दस्तुर | ५०० | |
| २८ | बन्द भएको अथवा ठाउँ सारेको संस्था सिफारिस दस्तुर | १५०० | |
| २९ | सम्बन्ध विच्छेदको सिफारिस | २०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३० | ठुला उद्योग स्थापनाको सिफारिस | १०००० | |
| ३१ | मझौला उद्योग स्थापनाको सिफारिस | ८००० | |
| ३२ | साना तथा घरेलु उद्योगको सिफारिस | १००० | |
| ३३ | रुख काट्ने सिफारिस प्रति गोटा- प्रतिवन्धित रुख बाहेक | ५० | |
| ३४ | नेपाली पेन्सन पट्टा सम्बन्धी सिफारिस | ३०० | |
| ३५ | भारतीय पेन्सन पट्टा सम्बन्धी सिफारिस | ३०० | |
| ३६ | अन्य मुलुकको पेन्सन पट्टा सम्बन्धी सिफारिस | १००० | |
| ३७ | अपुताली सिफारिस | २००० | |
| ३८ | जन्म ,मृत्यु, विवाह, बसाईसराई र सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको विलम्ब शुल्क (घटना घटेको ३५ दिन पछी) | २०० | |
| ३९ | पञ्जिकरण सम्वन्धि प्रतिलिपी प्रमाणपत्र ( संशोधन सहित) | ५०० | |
| ४० | कर चुक्ता, ठेगाना शंशोधन सिफारिस | २५० | |
| ४१ | कर चुक्ता, ठेगाना शंशोधन सिफारिस ( अंग्रेजीमा ) | ५०० | |
| ४२ | एफ. एम. सञ्चालन सिफारिस शुल्क | ५,००० | |
| ४३ | एफ. एम. सञ्चालन इजाजत दस्तुर १०० वाट क्षमता सम्म | १०००० | |
| ४४ | एफ. एम. सञ्चालन इजाजत नवीकरण | २००० | |
| ४५ | चार किल्ला प्रमाणित | ४०० | |
| ४६ | अस्थायी टहरा निर्माणको इजाजत दस्तुर | १००० | |
| ४७ | नक्सा नवीकरण वापत | ५०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४८ | सम्पत्ती करको प्रतिलिपी | ५० | |

**नोट :** उपचार सहुलियत सिफारिस, अपाङ्ग-असक्त सिफारिस, योजना सम्वन्धी सिफारिस, राहत सिफारिस, कृषि अनुदान सिफारिस, विपद राहत सिफारिस आदिमा सेवा शुल्क छुट दिन सकिनेछ । माथि अनुसूची-११ उल्लेख भए देखि बाहेक छुट हुन गएका सेवामा सेवाको प्रकृति हेरी उल्लेखित विषयसँग मेल खाने किसिमको दरमा सेवा शुल्क तथा प्रमाणित दस्तुर लिनुपर्दछ ।

**२. विभिन्न मूल्याङ्कन सिफारिस, अनुमती पत्र र नविकरण वापतको दस्तुर :**

| सि नं | सेवाको किसिम | दररेट (रु.) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | स्थलगत सर्जमिन वापत | १००० | |
| २ | वडा मुचुल्का (वडा अध्यक्षवाट हस्ताक्षर हुने सवै मुचुल्काहरु) शुल्क | २०० | |
| ३ | कुल सम्पत्ति मुल्याङ्कन तथा आम्दानी प्रमाणित (मुल्यांकन भएको कुल रकममा लाग्ने) शुल्क | ०.२ प्रतिशत | |
| ४ | निजी विद्यालयको दर्ता सिफारिस (मा.वि.) | २००० | |
| ५ | निजी आधारभुत विद्यालयको दर्ता सिफारिस | १५०० | |
| ६ | निजी विद्यालय कक्षा थपको सिफारिस | १००० | |
| ७ | निजी बालबिकास केन्द्र (मन्टेश्वरी) दर्ता | ५००० | |
| ८ | मिलापत्र शुल्क | १००० | |
| ९ | घर नम्बरिङ प्लेट पक्की घर | १००० | |
| १० | घर नम्बरिङ प्लेट कच्ची घर | ५०० | |
| ११ | टोल विकास संस्था दर्ता/नवीकरण शुल्क | ५००/१०० | |
| १२ | व्यवसायिक इजाजत सिफारिस (ठेक्का बाहेक ) | १००० | |
| १३ | "घ" वर्गका निर्माण व्यवसाय नवीकरण शुल्क | ४००० | |
| १४ | "घ" वर्गका निर्माण व्यवसायिक विलम्ब शुल्क | प्रतिवर्ष २००० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १५ | स्थलगत प्राविधिक सेवा शुल्क | २००० | |
| १६ | ढलान घर निर्माण गर्नेलाई पूर्वाधार मर्मत सम्भार शुल्क | २००० | |
| १७ | घ वर्गका इजाजत प्राप्त व्यवसाय सुचीकृत/स्थानान्तरण शुल्क | ५००० | |
| १८ | व्यवसाय सूचीकृत सेवा शुल्क | २५०० | |
| १९ | सूचीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष सूचीकृत हुने निर्माण, वस्तु वा परामर्श सेवा प्रदायक संस्था वा फर्मको लागि) | १००० | |

**३. भू- सेवा शुल्कः**

| क्र. सं | लिखत/निवेदनको विवरण | सेवा शुल्क रु. |
|---|---|---|
| १ | सबै प्रकारका लिखत ड्राफ शुल्क (दुई व्यक्ति विचको कारोवार) | १५००।- |
| २ | दुइ व्यक्ति भन्दा बढि व्यक्ति कारोवारमा संलग्न भएमा थप सेवा शुल्क | ५००। |
| ३ | जग्गावाला वा जग्गाको विवरण संशोधनका लागि दिने निवेदनको | २००। |
| ४ | रैकर तर्फको छुट जग्गा दर्ताका लागि दिने निवेदनको | ५००। |
| ५ | रजिष्ट्रेशन भएको लिखतको प्रतिलिपि माग गर्नका लागि दिने निवेदनको | २००। |
| ६ | मुद्दाको मिसिलमा रहेका कागजातको प्रतिलिपि माग गर्नका लागि दिने निवेदनको | ३००। |
| ७ | जग्गावालाले जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको प्रतिलिपि माग गर्नका लागि दिने निवेदनको | २००। |
| ८ | कित्ता एकीकरणका लागि दिने निवेदनको | २००। |
| ९ | घर कायम गर्नको लागि दिने निवेदनको | रु २००। |
| १० | श्रेस्ता एकीकरण गर्नको लागि दिने निवेदनको | रु ५००। |
| ११ | कपाली तमसुक | रु ५००। |

उल्लिखित शिर्षक वाहेकका अन्य लिखत/निवेदनको सेवा शुल्कको हकमा विषय/प्रकृति र लिखतको आकारका आधारमा उपयुक्त शुल्क लिन सकिने ।

## ४. फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्कः

| क्र. सं. | विवरण | सेवा शुल्क (मासिक) रू | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | व्यवशाय तर्फको | आवास तर्फ | | जम्मा | |
| | | | आफ्नै | भाडा | आफ्नै | भाडा |
| १ | डेरामा वस्ने प्रति परिवार | ० | ० | ५० | ० | ५० |
| २ | घरमा वस्ने प्रति परिवार | ० | १०० | ० | १०० | ० |
| ३ | चार टेवलसम्म भएका रेष्टुरा | २०० | २५ | १५ | २२५ | २१५ |
| ४ | चारभन्दा वढी टेवल भएका रेष्टुरा | ३०० | २५ | १५ | ३२५ | ३१५ |
| ५ | साना पसल (नकुहिने फोहर १ बोरामा अट्ने) | १०० | २५ | १५ | १२५ | ११५ |
| ६ | ठुला पसल (नकुहिने फोहर १ बोरामा नअट्ने) | २०० | २५ | १५ | २२५ | २१५ |
| ७ | मासु पसल (कुखुरा र खसी) | ५०० | २५ | १५ | ५२५ | ५१५ |
| ८ | मासु पसल (वंगूर राँगा भैंसी) | १००० | २५ | १५ | १०२५ | १०१५ |
| ९ | रेडीमेड मासु पसल | २०० | २५ | १५ | २२५ | २१५ |
| १० | ४ कोठासम्म भएका होटल | ३०० | २५ | १५ | ३२५ | ३१५ |
| ११ | ५ देखी ८ कोठासम्म भएका होटल | ५०० | २५ | १५ | ५२५ | ५१५ |
| १२ | ९ कोठा र सोठा भन्दा वढी कोठा भएका होटल | १००० | २५ | १५ | १०२५ | १०१५ |
| १३ | सरकारी कार्यालय | २०० | २५ | १५ | २२५ | २१५ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १४ | २ वटा वोरामा फोहोर अट्ने तरकारी पसल | ३०० | २५ | १५ | ३२५ | ३१५ |
| १५ | २ वटा वोरामा फोहर नअट्ने तरकारी पसल | ५०० | २५ | १५ | ५२५ | ५१५ |
| १६ | औषधि पसल | ५०० | २५ | १५ | ५२५ | ५१५ |
| १७ | अस्पताल | १००० | २५ | १५ | १०२५ | १०१५ |
| १८ | संघ संस्था गैरसरकारी संस्था | २०० | २५ | १५ | २२५ | २१५ |
| १९ | आमा समूह तथा युवा क्लव | ५० | २५ | १५ | ७५ | ६५ |
| २० | बैंक | २०० | २५ | १५ | २२५ | २१५ |
| २१ | सहकारी | १०० | २५ | १५ | १२५ | ११५ |
| २२ | सैलून, ब्यूटी पार्लर | २०० | २५ | १५ | २२५ | २१५ |
| २३ | मोटर साइकल वर्कसप | ३०० | २५ | १५ | ३२५ | ३१५ |
| २४ | मोटर वर्कसप | ५०० | २५ | १५ | ५२५ | ५१५ |
| २५ | शैक्षिक छात्रवास | १००० | २५ | १५ | १०२५ | १०१५ |
| २६ | विद्यालय | २०० | २५ | १५ | २२५ | २१५ |

**५. जलश्रोत उपयोगको अनुमती पत्र तथा नविकरण शुल्कः**

जलश्रोतको उपयोगको अनुमतिपत्र/ नविकरण शुल्कदेहाय बमोजिम हुनेछ।

| सि.नं. | जलश्रोत उपयोगको किसिम | निबेदन दस्तुर | दर्ता/अनुमति दस्तुर | नविकरण दस्तुर (प्रत्येक वर्ष आश्विन मसान्त सम्म) | आश्विन भन्दा पछि थप दस्तुर प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| क | खानेपानी मुहान दर्ता (घरेलु प्रयोजनको लागि) | रु. १०० | रु. १००० | रु. ५०० | रु. ५०० |
| ख | सिंचाई | रु. १०० | रु. २००० | रु. १००० | रु. १००० |
| ग | पशुपालन, मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोग | रु. १०० | रु. १००० | रु. ५०० | रु. ५०० |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| घ | घरेलु उद्योग, औद्योगिक व्यावसाय तथा खानी जन्य उपयोग | रु. १०० | रु. २००० | रु. १००० | रु. १००० |
| ङ | जल यातायात | रु. १०० | रु. ५००० | | |
| च | अमोद प्रमोदजन्य उपयोग | रु. १०० | रु. ५००० | | |
| छ | अन्य उपयोग (साना लघुविद्युत आयोजना, अन्य आयोजना) | रु. १०० | रु. ५००० | | |
| ज | अनुमतिमत्र प्राप्त व्यक्तिले जलश्रोतको उपयोग गरी अन्य व्यक्तिहरुलाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि जलश्रोत उपलब्ध गराए वापत | | रु. १०००० | | |

**अनुसूचि १२**
**(दफा १४ सँग सम्वन्धित)**

## प्राकृतिक श्रोत शुल्क, दस्तुरको दर

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सार्वजनिक वा निजी जग्गामा रहेका रोडा, गेग्रान, स्लेट ढुङ्गा, गिटी ढुङ्गा, चट्टान ढुङ्गा, कटिङ्ग ढुङ्गा, चिप्स, इट्टा पार्ने माटो, अन्य साधारण माटो, बालुवा, चुनढुङ्गा, नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ,कुकाठ, दाउरा र जराजुरी जस्ता दहत्तर-बहत्तर र खानीजन्य तथा नदीजन्य पदार्थमा देहाय बमोजिमको विक्री तथा निकासी शुल्क लगाई असूल उपर गरिनेछ ।

| सि नं | शीर्षक | इकाई | दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | रोडा, गेग्रान | प्रति क्यू. फिट | ९ | |
| २ | स्लेट ढुङ्गा | प्रति क्यू. फिट | ९ | |
| ३ | गिटी ढुङ्गा | प्रति क्यू. फिट | ९ | |
| ४ | चट्टान ढुङ्गा | प्रति क्यू. फिट | ९ | |
| ५ | कटिङ्ग ढुङ्गा | प्रति क्यू. फिट | ९ | |
| ६ | चिप्स | प्रति क्यू. फिट | ९ | |
| ७ | इट्टा पार्ने माटो | प्रति क्यू. फिट | ३ | |
| ८ | अन्य साधारण माटो | प्रति क्यू. फिट | २ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ९ | बालुवा | प्रति क्यू. फिट | ९ | |
| १० | चुनढुङ्गा | प्रति क्यू. फिट | १० | |
| ११ | नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ | प्रति क्यू. फिट | ३०० | |
| १२ | नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको कुकाठ | प्रति क्यू. फिट | ५० | |
| १३ | नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको दाउरा जराजुरी | प्रति क्यू. फिट | ४ | |
| १४ | ढुङ्गाखानी दर्ता शुल्क | | २०००० | |
| १५ | ढुङ्गाखानी नविकरण शुल्क | | ५००० | |
| १६ | ढुङ्गाखानी विलम्व शुल्क प्रति वर्ष | | २०% | |

**नोट :** (क) दहत्तर, बहत्तर भन्नाले नदी खोल्सा खोल्सी वन क्षेत्र वा सार्वजनिक वा निजी जग्गावाट उत्खनन वा संकलन गरिने बहुमुल्य पत्थर, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका शालिग्राम, शीला र अति मुल्यवान वस्तु वाहेकका नदीले बगाई ल्याएको वा थिग्रिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, काठ, कुकाठ, दाउरा, जराजुरी जस्ता नदीजन्य तथा खानीजन्य प्राकृतिक श्रोतलाई सम्झनु पर्छ ।

(ख) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, कसर, इट्टा, स्लेट तथा चुनढुङ्गा उद्योग/व्यवसायहरु विधिपूर्वक दर्ता र नविकरण गरी अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता भई कारोवार गरेको हुनुपर्नेछ । विभिन्न आयोजनाका नाममा खोलिएका यस्ता उद्योग/व्यवसायले सम्वन्धित आयोजनामा बाहेक अन्यत्र बिकी वितरण गर्न पाउने छैन ।

(ग) क्यू. फिट बाहेक अन्य इकाईमा कारोवार भएको इकाईलाई चट्टान, काठ, कुकाठ, दाउरा, क्यू. फिटमा परिवर्तन गरी गणना गर्न सकिनेछ ।

**अनुसूचि १३**
**(दफा १५ सँग सम्वन्धित)**

## दण्ड जरिवाना शुल्क

गाउँपालिकाले अन्तर्गतको बजार तथा वस्ती क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल, नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ आदिमा प्रचलित कानून विपरित अनुचित कार्य भएको अवस्थामा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको हकमा अनुसूची १२ बमोजिमको दररेटमा रु. ३ देखि रु. १० सम्म जरिवाना थप गरी शुल्क लगाउन सक्नेछ । गैरकानूनी रुपमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी कार्यका लागि प्रयोग भएका मेसीनरी औजार, र ढुवानी साधनमा देहाय बमोजिम दण्ड जरिवाना शुल्क लाग्नेछ ।

| क्र.सं. | ढुँङ्गा गिटी वालुवा लगायत नदिजन्य पदार्थको अवैध | पहिलो पटकमा लाग्ने जरिवाना रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|

| | उत्खनन र चोरी निकासी | | |
|---|---|---|---|
| १ | टि्रपर | २५,०००। | पटकेमा दोब्बर जरिवाना हुनेछ । |
| २ | ट्रयाक्टर | १५,०००। | |
| ३ | ब्याक हु लोडर | ३५,०००। | |
| ४ | डोजर (एक्साभेटर) | ५०,०००। | |

**अनुसूचि १४**

**(दफा १६ सँग सम्वन्धित)**

**कर छुट सम्वन्धी ब्यवस्था**

यस ऐन, बमोजिम तोकिएको सम्पत्ती तथा भूमिकर शुल्कमाचालु आ.व. को पुष मसान्त भित्र रब्यवसाय नविकरण शुल्कमा चालु आ.व. को असोज मसान्त भित्र १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । तर,

चालु आ.व.को उक्त अवधि ब्यतित भए पश्चात अन्य महिनामा र अन्य शीर्षकहरुमा यथावत शुल्क लाग्नेछ ।

# जलजला गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०८१

**जलजला गाँउपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,**

**प्रस्तावना:जलजला गाँउपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,**

**नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोजिमजलजला गाँउपालिकाको गाँउ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।**

१.**<u>संक्षिप्त नामर प्रारम्भः</u>** (१)यस ऐनको नाम "जलजला गाँउपालिका विनियोजन ऐन, २०८१" रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०८१ साल श्रावण १ गते देखि जलजला गाउँपालिका भर लागू हुनेछ ।

२.**<u>आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार</u>**: (१)आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को निमित्त गाउँकार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुका निमित्त अनुसूची १ मा उल्लिखित चालू खर्च, पूँजिगत खर्च र बित्तिय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु ५०,१०,००,०००**।-** मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।

३. **<u>विनियोजन :</u>** (१) यस ऐनद्धारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को निमित्त जलजला.गाउँपालिको गाउँकार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनै शीर्षकमा रकम बचत हुने र कुनै शीर्षकमा रकम अपुग हुने देखिन आएमा गाउँकार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ । यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ । पूँजिगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम साँवा भुक्तानी खर्च र व्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ सार्न र बित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत साँवा भुक्तानी खर्चतर्फ बिनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन । तर,

चालु तथा पूँजिगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको २५ प्रतिशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न परेमा गाउँ सभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

**अनुसूचि-१**
**(दफा २ संग सम्बन्धित)**
**नेपालको संविधानको धारा २२९ (२) बमोजिम**
**सञ्चितकोषवाट विनियोजन हुने कुल रकम**
**रु. हजारमा**

| क्र.सं. | अनुदान | शीर्षकको नाम | चालु खर्च | पूँजिगत | वित्तिय | कुल जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | संख्या | | | खर्च | व्यवस्था | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | | गाउँकार्यपालिका (सशर्त र समपुरक अनुदान समेत) | ३३,१०,५१ | ८,८८,०२ | ० | ४,१९,८५३ |
| २ | | वडा समिति | ९९,५० | ३,५०,५० | ० | ४,५०,०० |
| ३ | | बिषयगत शाखा | २२,७६,० | १,२८,०० | ० | ३,३५,६० |
| ४ | | ऋणको सावा व्याज भुक्तानी | ० | ० | ० | ० |
| ५ | | लगानी (शेयर/ऋण) | ० | ० | ० | ० |
| **जम्मा रु.** | | | ३६,३७,६१ | १३,६६,५२ | | ५०,०४,१३ |

**अनुसूचि-१**
**(दफा २ संग सम्बन्धित)**
**नेपालको संविधानको धारा २२९ (२) बमोजिम**
**सञ्चितकोषवाट विनियोजन हुने कुल रकम**
**रु. हजारमा**

| **क्र.सं.** | **अनुदान संख्या** | **शीर्षकको नाम** | **चालु खर्च** | **पूँजिगत खर्च** | **वित्तिय व्यवस्था** | **कुल जम्मा** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | | गाउँकार्यपालिका (सशर्त र समपुरक अनुदान समेत) | ३२,९८,०० | ७,७०,०० | ० | ४०,६८,०० |
| २ | | वडा समिति | ६३,०० | २,८४,०० | ० | ३,४७,०० |
| ३ | | बिषयगत शाखा | १,८५,०० | १,१०,०० | ० | २,९५,०० |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | | ऋणको सावा व्याज भुक्तानी | ० | ० | ० | ० |
| ५ | | लगानी (शेयर/ऋण) | ० | ० | ० | ० |
| **जम्मा रु.** | | | ,,०० | ,,०० | | ,०,०० |